सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं0: 6545 / 1011 / 2016 दिनांक: 30.05.2017

श्री मुकेश शर्मा
32 / 1011, मदनगीर
डी.डी.ए.फ्लैट, नई दिल्ली – 110062 वादी

बनाम

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(द्वारा) महाप्रबंधक (एचआर)
कारपोरेट कार्यालय, 3073 / 3, जे.बी.टिटो मार्ग
संदिक नगर, नई दिल्ली – 110049 प्रतिवादी

सुनवाई की तिथि : 16.05.2017 दोपहर 1600 बजे।

उपस्थित :

- श्री मुकेश शर्मा, शिकायतकर्ता।
- श्री आर.आर.राजे, उप महाप्रबंधक, श्री एस.के.गोगोई, उप महाप्रबंधक–प्रभारी, सुश्री रक्मि तिरू, मुख्य प्रबंधक, श्री डी.मेहरा, कर्मचारी सम्बन्ध अधिकारी प्रतिवादी की ओर से।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता श्री मुकेश शर्मा, 100 प्रतिशत श्रवण बाधित ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पानीपत में Engineering Assistant – IV (Mechanical-Fitter-cum-Rigger) की भर्ती से संबंधित शिकायत – पत्र दिनांक रहित निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

2. प्रार्थी का अपनी शिकायत में कहना था इंडियन आयॅल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में Junior Engineering Assistant – IV (Mechanical-Fitter-cum-Rigger) post code - 121 में अस्थि बाधित एवं श्रवण बाधित उम्मीदवारों का तीन प्रतिशत कोटा था इसमें 08 बच्चे अस्थि बाधित के और 02 बच्चे श्रवण बाधित के थे। प्रार्थी का आगे कहना है कि उनका पेपर अच्छा होने के बाद भी उन्हें सीट नहीं दी।

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाष: 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in

3. मामला अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत प्रतिवादी से दिनांक 22.07.2016 को उठाया गया। प्रतिवादी ने अपने पत्र दिनांक 04.10.2016 द्वारा अवगत करवाया कि 24 दिव्यांग उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया था जिसमें 10 दिव्यांग उम्मीदवार दिनांक 05.06.2016 को उपस्थित हुए। प्रतिवादी का आगे कहना है कि श्री मुकेश शर्मा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए थे। प्रतिवादी के पत्रों दिनांक 21.12.2016 एवं 06.01.2017 के मद्देनज़र दिनांक 16.05.2017 को सुनवाई रखी गई।

4. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने कथनों को दोहराया और कहा कि इंडियन आयॅल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लिखित परीक्षा के बाद दिव्यांगजनों का परिणाम घोषित नहीं किया था। प्रार्थी ने निवेदन किया कि उनको उनकी लिखित परीक्षा की एक प्रति उपलब्ध करवाई जाए।

5. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि का कहना है कि उन्होंने दिव्यांगजनों को लिखित परीक्षा में अंक छूट भी प्रदान की थी (सामान्य श्रेणी के लिए – 40 एवं एस.सी. एवं दिव्यांगों के लिए – 35) एवं श्री मुकेश शर्मा ने 100 अंक में से 26 अंक प्राप्त किये थे इसलिए उनको चयन प्रक्रिया के लिए नहीं बुलाया गया। प्रतिनिधि का आगे कहना था कि उक्त भर्ती प्रक्रिया में एक अस्थि बाधित व्यक्ति कि नियुक्ति हो चुकी है।

6. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने के पश्चात्, न्यायालय ने यह पाया है कि प्रतिवादी ने सन् 1996 से 1796 में से अब तक 28 दिव्यांगों की नियुक्ति की है जबकि 54 होनी चाहिए इसलिए निम्नलिखित निर्देशों के साथ मामले का निपटारा किया जाता है:–

- 1796 पदों के अनुसार दिव्यांगजनों के 54 पद बनते है जबकि प्रतिवादी ने 28 पदों को ही भरा है।
- रोस्टर के हिसाब से रिक्तियों की गणना करें; और बैकलॉग रिक्तयों को विशेष भर्ती अभियान के तहत 06 महीनों के अन्दर भरें एवं इस न्यायालय को अवगत करवाएं।
- 15 दिनों के भीतर प्रार्थी को उनकी लिखित परीक्षा की एक प्रति उपलब्ध करवाएं
- भविष्य में परीक्षा एवं परिणाम की सभी जानकारियाँ अपनी वेबसाइट पर समय पर दें।
- चयनित अभ्यर्थियों के नाम, विकलांगता की प्रकृति और विकलांगता की प्रतिशतता आदि विवरण सहित उनके पदग्रहण के 15 दिनों के अन्दर इस न्यायालय को सूचित करें।

(डॉ कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त